न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

वाद सं0 : 1042 सन 2020

अनवान :–

1. रामकुमार पुत्र केसुराम जाति ब्राहम्ण निवासी धानसिया तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 04/06/26

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आश्य का पेश किया की रोही मोजा धानसिया के साबिका खसरा न0 319 की 30 बीधा भूमि रामकुमार पुत्र केशुराम जाति ब्राहम्ण निवासी धानसीया को दिनांक 18.07.1968 को आवंटन की गई थी आवंटन के समय से कब्जा काश्त में चली आ रही है

रोही मौजा धानसीया के साबिका खसरा न0 319 की 30.00 बीधा को भू0प्रबन्ध विभाग के द्वारा पैमाईश के दोरान साबिका खसरा न0 319 की 30. बीधा को हाल खसरा न0 318 की 11.08 बीधा साबिका खसरा न0 1098 की 4.05 बीधा को हाल खसरा न0 1098/1519 की 4.05 बीधा में पैमुद परिर्वतन किया गया है जिसे हैक्टयर में परिर्वतन करने के उपरान्त रोही मौजा धानसिया के खसरा न0 1098 /1519 की 1.0752हैक व खसरा न0 1098/2 की 1.8090हैक कुल 2.8842हैक भूमि में पैमुद परिर्वतन किया गया है जो मिलान क्षेत्रफल /हाल जमाबन्दी से पूर्णत्या साबित है।

वादी को रोही मौजा धानसिया के साबिका खसरा न0 319 की 30.00 बीधा हैक भूमि दिनांक 18.07.1968 को आवंटित की गई आवंटन की शर्तो के अनुसार वादी को आवटिन होने के दस वर्ष बाद स्वत ही खातेदार काश्तकार दर्ज हो गया था अर्थात वादी खातेदारी अधिकार हो चुका है वादी वाद भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा के अनुसार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के को वाद भूमि आवंटन होने के तीन वर्षो वाद ही वादी नियामानुसार खातेदार हो गये थे किन्तु राजस्व रिकार्ड में आज भी गैरखातेदार दर्ज कर रखा है तथा वादी आवंटन की गई भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये थे किन्तु वाद भूमि का वादी को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 893/770 के खसरा न0 1098/1519 की 1.0752हैक व खसरा न0 1098/2 की 1.8090हैक भूमि कां वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के पूर्वज को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर देवे तो इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जावे की मौजा धानसिया के खाता संख्या 893/770 के खसरा न0 1098/1519 की 1.0752हैक व खसरा न0 1098/2 की 1.8090हैक भूमि कां वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज करने की घोषणा करवाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमावे।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद के सम्बध में रिपोर्ट पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे। पेरोकार राज का जबाब व मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल किया गया व वादी ने साक्ष्यवादी में शपथ पत्र/दस्तावेजात पेश किया जिस पर जिरह नही की गई एव प्रतिवादी अन्य कोई साक्ष्य पेश नही करने के कारण उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मोजा धानसिया के साबिका खसरा न0 319 की 30 बीधा भूमि रामकुमार पुत्र केशुराम जाति ब्राहम्ण निवासी धानसीया को दिनांक 18.07.1968 को आवंटन की गई थी आवंटन के समय से कब्जा काश्त में चली आ रही है

रोही मौजा धानसीया के साबिका खसरा न0 319 की 30.00 बीधा को भू0प्रबन्ध विभाग के द्वारा पैमाईश के दोरान साबिका खसरा न0 319 की 30. बीधा को हाल खसरा न0 318 की 11.08 बीधा साबिका खसरा न0 1098 की 4.05 बीधा को हाल खसरा न0 1098/1519 की 4.05 बीधा में पैमुद परिर्वतन किया गया है जिसे हैक्टयर में परिर्वतन करने के उपरान्त रोही मौजा धानसिया के खसरा न0 1098 /1519 की 1.0752हैक व खसरा न0 1098/2 की 1.8090हैक कुल 2.8842हैक भूमि में पैमुद परिर्वतन किया गया है जो मिलान क्षेत्रफल /हाल जमाबन्दी से पूर्णत्या साबित है।

वादी को रोही मौजा धानसिया के साबिका खसरा न0 319 की 30.00 बीधा हैक भूमि दिनांक 18.07.1968 को आवंटित की गई आवंटन की शर्तो के अनुसार वादी को आवटिन होने के दस वर्ष बाद स्वत ही खातेदार काश्तकार दर्ज हो गया था अर्थात वादी खातेदारी अधिकार हो चुका है वादी वाद भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा के अनुसार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के को वाद भूमि आवंटन होने के तीन वर्षो वाद ही वादी नियामानुसार खातेदार हो गये थे किन्तु राजस्व रिकार्ड में आज भी गैरखातेदार दर्ज कर रखा है तथा वादी आवंटन की गई भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये थे किन्तु वाद भूमि का वादी को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 893/770 के खसरा न0 1098/1519 की 1.0752हैक व खसरा न0 1098/2 की 1.8090हैक भूमि कां वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा 1098/1519 की 4.00 बीधा 5 बिश्वा भूमि आवंटन होने के साक्ष्य है शेष भूमि आवंटन होने के साक्ष्य नही होने के कारण आवंटन भूमि के अलावा अन्य भूमि के खातेदारी अधिकार वादी पाने का अधिकारी नही है वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है बारानी क्षैत्रो में आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटित रकबा के उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा धानसिया के साबिक खसरा न0 319 की 30.00 बीधा भूमि वादी के रामकुमार पुत्र केशुराम जाति ब्रहाम्ण निवासी धानसिया को दिनांक 18.07.1968 को आवंटन की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से पूर्णत्या साबित है आवंटन होने के सम्बध में पेरोकार राज ने भी कोई उज्र पेश नही किया।

आवंटि रामकुमार पुत्र केशुराम जाति ब्रहाम्ण निवासी धानसिया को रोही मौजा धानसिया के साबिका खसरा न0 319 की 30.00 बीधा भूमि को भू0प्रबन्ध विभाग के द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हाल पैमाईश के दौरान साबिका खसरा न0 319 की 30.00 बीधा व खसरा न0 318 की 11.08 बीधा भूमि को हाल खसरा न0 1098/4.05 बीधा व 1098/1519 की 4.5 बीधा में पैमद किया गया है तथा उक्त भूमि को हैक्टयर में परिर्वतन करने के उपरान्त हाल खसरा न0 1098/1519 की 1.0752हैक व खसरा न0 1098/2 की 1.8090हैक भूमि में परिर्वतन किया जाकर आवंटी रामकुमार पुत्र केशुराम के नाम दर्ज है

वादी के द्वारा अंकित किये गये उक्त कथन आशिक स्वीकार है वादी ने अपने वाद में केवल खसरा न0 319 की 30.00 बीधा भूमि आवंटन होने का कथन किया गया है तथा खसरा न0 319 का आवंटन पटटा पेश किया गया खसरा न0 318 का आवंटन पटटा पेश नही किया गया है ना ही कोई दस्तावेज पेश किया गया है इसलिये वादी केवल खसरा न0 319 की भूमि का ही अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है।

वाद भूमि रामकुमार पुत्र केशुराम जाति ब्राहम्ण साकिन धानसिया को दिनांक 18.07.1968 को आवटित की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से साबित है आवंटन के समय से आंवटित भूमि वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है जो प्रस्तुत गिरदावारीयों /पटवारी हल्का की रिपोर्ट से साबित है वाद भूमि पर कब्जा काश्त के सम्बध में पेरोकार राज को किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी रामकुमार पुत्र केशुराम जाति ब्रहाम्ण साकिन धानसीया को रोही मौजा धानसिया के साबिका खसरा न0 319 की 30.00बीधा हाल खसरा न0 1098/1519 की 4.05 बीधा अर्थात 1.0752हैक भूमि दिनांक 18.07.1968 को आवंटित की गई जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम बतौर गैरखातेदारी दर्ज है।

वादी को रोही मौजा धानसिया के खसरा न0 319 की 4.05 बीधा भूमि दिनांक 18.07.1968 आवंटन की गई थी आवंटन होने के तीन/दस वर्षो के बाद वादी आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है एव वादी खातेदारी काश्तकार हो चुके था वादी को आवंटन दिनांक के दस वर्षो के बाद बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करना तहसीलदार का दायित्व था किन्तु वादी के पिता को खातेदार काश्तकार दर्ज नही किया गया था जिसे वादी अब भी बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है

वादी का कथन है कि वाद भूमि आवंटन दिनांक 25.09.1968 को आवंटन की गई थी आवंटन आदेश की शर्तो के अनुसार वादी को आवंटन दिनांक 25.09.1968 के तीन वर्ष बाद खातेदार काश्तकार हो गया था जिसे राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना था अर्थात आवटन आदेश की शर्तो के अनुसार वाद भूमि को वादी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना चाहिये आवटन आदेश के अनुसार वादी का कथन न्यायोचित है।

पेरोकार राज का कथन है कि वादी के पूर्वज को बारानी क्षेत्र में भूमि आवंटन की गई थी वर्तमान में वादी के पूर्वज को आवंटन की गई भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आती है अब वादी उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है।

राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर 1957/1970 के तहत आवंटित भूमिया जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षैत्र में आ गई है के खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बध में परिपत्र /अधिसूचना जारी की गई है वादी उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है एवं वादी इसके लिये सहमत भी है।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 के तहत आवंटन की गई थी जो बाद में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी इसप्रकार की भूमियों के खातेदार अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 07.03.2008 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधिन किया गया है कि जो भूमि 1957/1970 के नियमो के तहत आवंटित थी और वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है उसके खातेदार अधिकारो के

उपखण्ड अधिकारी Rahul
नोहर

लिए अनु0 जाति अनु0 जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग व बीपीएल परिवारो से परियोजना क्षेत्र की निर्धारित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत व अन्य जातियों के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल कर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। इस परियोजना क्षेत्र में भाखरा नहर परियोजना क्षेत्र के नियम व आरक्षित दरे लागू है। अधिसूचना दिनांक 07.03.2008 निम्नानुसार है :–

"Provided also that subject to the general or specific directions of the state Government, the temporary cultivation lease holders to whom land has been allotted under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, Whether they have acquired khatedari rights or not under the said rules and after declaration of such area as colony, such temporary cultivation lease holders shall be eligible for permanent allotment to the extent of ceiling limit under these Rules on the payment of 20 % of the reserve price of general allotment in one installment but in case of persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes or BPL Families, they shall pay 10% of the reserve price of general allotment in one installment."

इसी संबंध में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के पत्रांक प–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया जाता है एवं बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक में नियम 1957/1970 के गैर खातेदारी को भी सम्मिलित माना जाकर कार्यवाही की जावे।

राजस्थान उपनिवेशन विभाग की अधिसुचना एफ 4(11) कोलो/96 दिनांक 18.01. 2010 के परन्तु के अनसार कोई व्यक्ति जिसे राजस्थान भू0 राजस्व (कृषि प्रयोजन के लिये भूमि का आवंटन) नियम 1970 के उपबन्धों के अधीन भूमि आवटित की गयी थी और तत्पश्चात ऐसा क्षेत्र उपनिवेशन ज्ञेत्र घोषित हो गया था और ऐसे आंवटियों को अस्थाई खेती पटटा धारक माना गया था भूमि कुल कीमत का संदाय करने पर तुरन्त वह खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने वाली सनद प्राप्त करने का हकदार होगा।

इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी काश्तकार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 07.03.08 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है।

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट के अनुसार भी वादी के पूर्वज को आवंटन की गई भूमि आवंटी के वारिसान के नाम बतौर गेरखातेदार दर्ज है तथा साबिका खसरा से हाल खसरा का मिलान भी वादी के कथनानुसार सही तौर से हो रहा है आवंटी के वारिसान के कब्जा काश्त में है वाद भूमि भारमुक्त है किसी प्रकार का विवाद या आवप्ती आदि की कार्यवाही विचाराधीन नही है नगरपालिका की पैराफरी क्षेत्र में नही है किसी प्रकार का विवाद नही है तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट वादी के कथनो का समर्थन करती है

वादी रामकुमार पुत्र केशुराम जाति ब्रहाम्ण निवासी धानसिया (जो सामान्य जाति का सदस्य है) को रोही मौजा धानसिया के साबिका खसरा न0 319 की 30.00 बीधा हाल खसरा न0 1098/1519 की 1.0752 हैक भूमि आवंटन दिनांक 18.07.1968 को आवटन की गई थी जो आवंटि के कब्जा काश्त में है जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से है एव राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम बतौर गेरखातेदार दर्ज है पेरोकार राज के कथनानुसार जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है अर्थात वाद भूमि वादी आवंटन नियम 1957/70 के तहत भूमि आवटन की गई है जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है अब वादी आवंटन की गई भूमि के खातेदार अधिकार उपनिवेशन नियमों के तहत पाने का अधिकारी है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटन भूमियो जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है के खातेदारी अधिकारी दिये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर उक्तानुसार परिपत्र/अधिसुचनाए जारी की गई है उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार रोही मौजा धानीसया के साबिका खसरा न0 319 की 30.00 बीधा हाल खसरा न0 1098/1519 की 1.0752हैक भूमि वादी रामकुमार पुत्र केशराम जाति ब्रहाम्ण को आवंटन की गई थी शेष भूमि वादी का आवंटन की जानी नही पाई जाती है शेष भूमि के सम्बध में वादी कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नही है ना ही साक्ष्य सबुतो के आधार पर आवंटन होना पाया जाता है केवल खसरा न0 319 हाल खसरा न0 1098/1519 की 1.0752हैक भूमि के सम्बध में ही अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है खसरा न0 319 की शेष भूमि के खातेदारी अधिकार रिपोर्ट अनुसार पूर्व में ही दिये जा चुके है शेष रही भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है जो आवंटन आदेश एव तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट से पूर्णत्या साबित है तथा मौका रिपोर्ट अनुसार वाद भूमि जो वादी को आवंटन की गई थी वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है कब्जा काश्त की पूष्टि तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एव प्रस्तुत दस्तावेजात से पूर्णरूप से साबित है वादी को आवंटन की गई भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है वादी को आवंटन की गई भूमि के खातेदारी अधिकार राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर जारी अधिसुचनाओं/परिपत्र के परिपेक्ष्य में ही प्राप्त करने का अधिकारी है अर्थात वादी उपनिवेशन नियमों के तहत बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने का अधिकारी है

अतः वादी का वाद आंशिक डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 893/770 के खसरा न0 1098/1519 की कुल 1.0752हैक कुल 1.0752हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 200/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद उक्त वाद भूमि में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 04/06/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास में सुनाया गया

Rahul

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– राहुल श्रीवास्तव (आइ.ए.एस)

अनवान :–

1. रामकुमार पुत्र केसुराम जाति ब्राहम्ण निवासी धानसिया तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1042 सन 2020 निर्णय दिनांक – 04/06/2026

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव (आई.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 893/770 के खसरा न0 1098/1519 की कुल 1.0752हैक कुल 1.0752हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 200/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद उक्त वाद भूमि में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।

Rahul

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)